

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(36)राज/वाद/19


जयपुर, दिनांक 21-9-2020

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार निम्नांकित अभिभाषकों को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, लक्ष्मणगढ/दातारामगढ जिला सीकर में राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए उनके नाम के सम्मुख पद व स्थान तथा मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर नियुक्त किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम अभिभाषक	एनरोलमेन्ट नं०	पद नाम
1	श्री राजकुमार	आर/434/02	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, लक्ष्मणगढ जिला सीकर
2	श्री कमल किशोर शर्मा	आर/136/03	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, दातारामगढ जिला सीकर


आज्ञा से

  
(मधुसूदन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर।
- 8 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश लक्ष्मणगढ/दातारामगढ जिला सीकर।
- 9 जिला कलक्टर, सीकर।
- 10 कोषाधिकारी, सीकर।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

  
21-9-2020  
( मधुसूदन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण